17

भारतीय संविधान का स्वरूप

संविधान किसी राज्य की मशीनरी को चलाने वाले कानूनों और नियमों का समुच्चय है जो सरकार की भिन्न संस्थाओं तथा क्षेत्रों जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका एवं केंद्रीय, क्षेत्रीय (प्रांतीय) तथा स्थानीय सरकारों के बीच सम्बन्धों को परिभाषित एवं निर्धारित करता है। प्रत्येक संविधान का लक्ष्य कुछ आधारभूत और सुस्थापित सिद्धान्तों के आधार पर एक सरकारी ढांचा निर्मित करना होता है। यद्यपि इन सिद्धान्तों में से कुछतो अधिकांश संविधानों में पाए जाते हैं, परन्तु कुछ ऐसे सिद्धान्त हैं जो प्रत्येक संविधान में अलग-अलग होते हैं। भारत का संविधान भी कोई अपवाद नहीं है और इसके अपने अलग कुछ मूल सिद्धान्त हैं।

भारत का संविधान इस देश का सर्वोच्च कानून है। यह मूल राजनीतिक सिद्धान्तों को परिभाषित करते हुए इसके ढांचे, विधियों, शक्तियों, सरकार के कर्तव्यों को निश्चित करता है तथा मूल कर्त्तव्यों, नीति निदेशक सिद्धान्तों और नागरिकों के अन्य कर्त्तव्यों को स्पष्ट करता है। 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया यह संविधान दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद, 24 भागों में विभाजित, 12 अनुसूचियां हैं। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जवनरी की तिथि विशेष रूप से 1930 में की गई पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की स्मृति बनाए रखने के लिए चुनी गई थी। हमारा संविधान भारत संघ को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है जो अपने सभी नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता के प्रति आश्वस्त करता है तथा उन सबके बीच भ्रातृत्व का भावना को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप:

- भारतीय संविधान के स्वरूप को समझ पाएंगे;
- संविधान सभा के संगठन, प्रारूप समिति की भूमिका तथा संविधान के उद्देश्यों का वर्णन कर सकेंगे;
- भारत के संविधान की प्रस्तावना का महत्व समझ सकेंगे;
- भारत के संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे;

- लिखित और अलिखित संविधान में अन्तर कर सकेंगे; तथा
- भारतीय संविधान के संघात्मक और एकात्मक ढांचे को पहचान सकेंगे।

17.1 भारतीय संविधान का स्वरूप

भारत राज्य के प्रमुख लक्षण निम्नलिखत हैं जो स्वयं इस की प्रकृति को उजागर करते हैं।

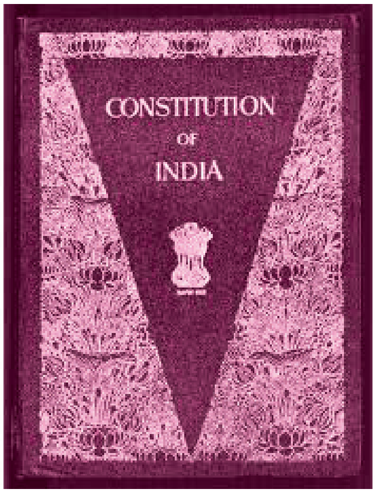

चित्र 17.1: भारत का संविधान

(i) **उदारवादी - लोकतांत्रिक राज्य:** उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य का माडल एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की ओर इंगित करता है जिसमें लोकतंत्र अथवा लोगों का शासन अपने वास्तविक अर्थ में शासन को वैध बनाने हेतु कार्य करता है। सरकार रूपी मशीनरी को लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि चलाते हैं तथा अपनी नीतियों और कार्यो के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं। उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य इस धारणा पर आधारित है कि सरकार अपने आप में कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है अपितु यह अधिकाधिक लोगों के अधिकाधिक लाभ को अनुभूत करने का एक माध्यम है। इसके अतिरिक्त सरकार के प्राधिकार निरपेक्ष नहीं है अपितु कानूनों द्वारा सीमित कर दिए गए हैं।

इन सब बातों से हमें ज्ञात होता है कि भारत एक उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य की सभी शर्तो को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह ठीक ही कहा गया है कि भारतीय संविधान सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, आवधिक चुनावोंश प्रतिनिधियात्मक और उत्तरदायी सरकार, स्वतंत्र न्यापालिका, कानून का शासन और शक्तियों के विभाजन का प्रावधान करता है।

(ii) **संघीय राज्य:** महात्मा गांधी ने भारतीय सन्दर्भ में शक्तियों के विकेन्द्रीकरण की चर्चा की थी। आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन की सभी शक्तियां राज्य में निहित हैं। राज्य को कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र में विकास की बहुत शक्तियां प्राप्त हैं। रजनी कोठारी के शब्दों में "शक्तिशाली और एकात्मक राज्य की विचारधारा और व्यक्तिपूजा ने देश को केंद्रीकृत बना दिया है।

टिप्पणी

(iii) **कल्याणकारी राज्य:** भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए हैं। एक कल्याणकारी राज्य के मूल उद्देश्यों को स्पष्टतया संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया और वस्तुत: संविधान के भाग IV के सभी प्रावधानों, जिनमें राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त भी सम्मिलत हैं, में भी शामिल किया गया। अनुच्छेद 38 के अनुसार "राज्य लोगों के कल्याण के लिए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को रक्षित एवं संरक्षित करेगा जिसमें राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेंगी।

(iv) **जाति आधारित समाज:** प्राचीन सभ्यता के प्रारम्भ से ही हमारे पूर्वज वंशानुगत सामाजिक संगठन की व्यवस्था को विकसित कर के व्यवहार में लाते रहे हैं जो भारतीय सामाजिक संरचना का मूल आधार है। जाति की व्यवस्था जन्म के साथ ही किसी व्यक्ति का स्थान निर्धारित कर देती है, वह अपने पिता के व्यवसाय को विरासत में प्राप्त करता है और आगे अपने बच्चों को सौंप देता है। जाति व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल हिन्दुओं में ही जाति पर बल नहीं दिया जाता है अपितु यह भारतीय मुसलमानों, इसाईयों, सिक्खों, जैनियों और यहूदियों में भी कुछ हद तक प्रचलित है।

(v) **बहुधर्मी समाज:** यहां धर्म के आधार पर समरसता की कमी है। अंग्रेजों ने भारतीय जनसंख्या को हिन्दुओं, मुसलमानों, बौध, पारसी और इसाईयों में बांटा। यह तथ्य है कि ऐसा एक भी समुदाय नहीं है जिसमें विविधता न हो। व्यक्तिगत कानून तक भी एक जैसे नहीं हैं।

सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और जातीय विविधताओं के बावजूद भारत मुख्यत: एक संगठित समाज रहा है। इस देश की धर्म, भाषा और प्रथाओं की विस्मयकारी विविधता के नीचे छिपी एकता उल्लेखनीय अचरज की बात है। भारत एक राजनीतिक इकाई है जिसका प्रत्येक भाग एक ही संविधान से शासित है।

पाठगत प्रश्न 17.1

1. 'कल्याणकारी राज्य' का क्या अर्थ है?

2. भारतीय सन्दर्भ में 'राज्य' की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

17.2 संविधान सभा

एक नये संविधान को अपनाने अथवा बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा की अवधारणा का अर्थ था 'लोगों को अपना भविष्य तथा जिन नीतियों के अन्तर्गत वह रहना चाहें, उन्हें निर्धारित करने का अधिकार।'

भारत के संविधान को तैयार करने के व्यापक काम को भारतीय लोगों की इच्छा से स्वीकार किया गया। संविधान को दिसम्बर 1946 से नवम्बर 1949 के बीच तैयार किया गया। इस दौरान

इस सभा के 11 अधिवेशन हुए और वास्तविक कार्य 165 दिन हुआ। ऐतिहासिक दस्तावेज – 'स्वतंत्र भारत का संविधान' सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को पारित एवं स्वीकार किया गया और इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।

संविधान सभा को कुल 389 सदस्य लेने थे। इनमें से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से निर्वाचित किए जाने थे तथा शेष 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि होने थे। संविधान सभा के सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से उस समय की प्रान्तीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया गया था। इसके साथ ही रजवाड़ों ने भी सदस्य मनोनीत किए थे। निर्वाचित सदस्यों के लिए साम्प्रदायिक आधार पर स्थान आरक्षित किए गए थे। जब संविधान सभा गठित की गई थी तब भारत एक था और अविभाजित था। स्वतंत्रता के समय मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान में शामिल किए गए क्षेत्रों के प्रतिनिधि भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। इसलिए निर्वाचित 296 सदस्यों में से 31 दिसम्बर 1947 को केवल 229 सदस्य रह गए। संविधान सभा में कांग्रेस से सम्बद्ध सदस्यों की संख्या अधिक थी। कांग्रेस के भीतर भी स्वतंत्रता आन्दोलन से जुड़े कई नेता संविधान सभा के सदस्य थे। सभा में 29 मुस्लिम लीग, 1 अकाली तथा अन्य सात निर्दलीय थे।

संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डा. सच्चिदानन्द ने की थी। बाद में डा. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों को विशुद्ध रूप से पार्टी के आधार पर नहीं चुना गया था अपितु उन्हें जीवन के सभी पहलुओं से लिया जो भारतीय जनसंख्या के प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री पं. जवाहर लाल नेहरू संविधान सभा की प्रेरक शक्ति थे। सुभाष कश्यप के विचारानुसार नेहरु ने इसके ढांचे और आकार को तो तैयार किया परन्तु सबसे महत्वपूर्ण है कि नेहरु जी ने भारत के संविधान को दर्शन और दृष्टि दी तथा प्रेरक शक्ति और आत्मा प्रदान की।

17.2.1 संविधान सभा की समितियां

संविधान सभा की कुल मिलाकर 15 से अधिक समितियां थी जिनमें से प्रमुख थी – प्रारूप समिति, संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, अल्प संख्यकों और मौलिक अधिकारों की परामर्श समिति, चीफ कमिशनर के प्रान्तों की समिति, संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों की समिति। इन समितियों ने अप्रैल से अगस्त 1948 के बीच जनजातीय क्षेत्रों पर परामर्श समिति अपनी रिपोर्ट संविधान सभा विचारार्थ सौंपी थी जिन पर संविधान सभा ने विचार किया था। इन निर्णयों के आधार पर प्रारूप समिति में डा. बी. आर. अम्बेडकर और उसके साथियों ने प्रारूप को अन्तिम रूप और आकार दिया। संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए एक प्रारूप समिति नियुक्त की गई थी। डा. बी. आर. अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था तथा इसमें कुछ अन्य सहायक सदस्य भी थे। डा. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने संविधान सभा के निर्णयों को वैकल्पिक एवं अतिरिक्त प्रस्तावों के साथ 'भारत के संविधान का प्रारूप' के रूप में तैयार किया जिसको फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। प्रारूप समिति ने प्रारूप तैयार करने में छः मास से कम का समय लिया।

पाठगत प्रश्न 17.2

उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थान भरिये

1. .... प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। (पं. नेहरू, डा. राजेन्द्र प्रसाद, डा. बी. आर. अम्बेडकर)
2. .... संविधान सभा के अध्यक्ष थे। (डा. राजेन्द्र प्रसाद/डा. बी. आर. अम्बेडकर)

17.3 संविधान के उद्देश्य

अनेक राजनीतिक विचारकों का मत है कि स्वतंत्र भारत के संविधान को लगभग 200 वर्षों के औपनिवेशिक शासन, जन आधारित स्वतंत्रता संघर्ष, राष्ट्रीय आन्दोलन, देश का विभाजन और साम्प्रदायिक हिंसा की पृष्ठभूमि में तैयार किया गया। संविधान के निर्माता लोगों की आकांक्षाओं, देश की एकता और अखण्डता तथा एक लोकतान्त्रिक समाज की स्थापना के प्रति चिन्तित थे। संविधान सभा के अलग-अलग सदस्यों की अलग-अलग विचाराधारा थी। उनमें से कुछ का समाजवादी सिद्धान्तों के प्रति झुकाव था, और कुछ अन्य गांधीवादी विचारों पर जोर देते थे। उनमें से अधिकांश सदस्य लोगों को उनके प्रिय आदर्शों को पूरा करने वाला संविधान देने पर सहमत थे।

परिणाम स्वरूप विवादों और असहमति को टालने के लिए विभिन्न मुद्दों और सिद्धान्तों पर सर्वसम्मति बनाने के सजग प्रयास किए गए। यह सहमति 17 दिसम्बर 1946 को पं. जवाहर लाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित 'उद्देश्य प्रस्ताव' के रूप में प्रकट हुई जिसे लगभग सर्व सम्मति से 22 जनवरी 1949 को स्वीकार किया गया। इन उद्देश्यों/लक्ष्यों के प्रकाश में समिति ने अपना कार्य 26 नवम्बर 1949 को पूरा किया। संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस शुभ दिन से भारत एक गणतन्त्र बन गया। ठीक 20 वर्ष पूर्व 26 जनवरी 1930 को लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के निर्णयानुसार पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसलिए भारत के संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया। पहले दिए गए 'उद्देश्य प्रस्ताव' पर बोलते हुए पं. जवाहर लाल नेहरु ने कहा था "उद्देश्य प्रस्ताव एक प्रस्ताव से कुछ अधिक है। यह हम सब के लिए निष्ठा और समर्पण की एक घोषणा, दृढ़ निश्चय, एक शपथ और प्रतिज्ञा है।"

पाठगत प्रश्न 17.3

ठीक उत्तर के सामने सही √ का निशान लगाएं

1. 17 दिसम्बर 1946 को पं. जवाहर लाल नेहरू ने 'उद्देश्य प्रस्ताव' प्रस्तुत किया।
2. भारतीय संविधान के निर्माताओं का एक मुख्य उद्देश्य देश की एकता और अखण्डता को बनाए रखना था।

17.4 भारतीय संविधान की प्रस्तावना और इसका महत्व

किसी भी संविधान की प्रस्तावना में ऐसे मौलिक मूल्य और दर्शन समाहित करने की अपेक्षा की जाती है जिन पर संविधान आधारित होता है तथा वे उद्देश्य और लक्ष्य सम्मिलित होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए हमारे पूवर्जों ने संघर्ष किया। दूसरे शब्दों में प्रस्तावना एक लिखित अथवा मौखिक, प्राथमिक अथवा परिचयात्मक कथन होता है। ठीक ही कहा गया है कि प्रस्तावना किसी पुस्तक के आमुख की भांति होती है। इस दस्तावेज के प्रारम्भिक और अन्तिम शब्द है। "हम भारत के लोग – इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं" इससे यह सन्देश मिलता है कि संविधान स्वयं लोगों द्वारा लागू किया गया था और संविधान में दर्ज संप्रभुता लोगों में निहित है।

संविधान द्वारा प्रस्तावना भारत के लोगों के लिए निश्चित की गई सरकार – संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य थी।

क. संप्रभुता

संप्रभुता किसी स्वतंत्र राज्य का सबसे पहला तत्व है। इसका अर्थ निरपेक्ष स्वतंत्रता है अर्थात् – ऐसी सरकार जिस पर किसी बाह्य अथवा आन्तरिक शक्ति का नियन्त्रण नहीं होता है। कोई भी देश संप्रभु हुए बिना अपना संविधान नहीं रख सकता। इसलिए भारत एक संप्रभु देश है। यह बाह्य नियन्त्रण से मुक्त है। यह अपनी नीतियां स्वयं बना सकता है और अपनी विदेश नीति बनाने में स्वतंत्र है।

ख. समाजवादी

'समाजवादी' शब्द मूल रूप से संविधान में नहीं था। इस शब्द को 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। समाजवादी शब्द का अर्थ विवादित है क्योंकि यह अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ रखता है। हमारे संविधान में इसका प्रयोग आर्थिक नियोजन के सन्दर्भ में किया गया है। 'समाजवाद' शब्द का प्रयोग अर्थ व्यवस्था में राज्य की मुख्य भूमिका को स्वीकृति प्रदान करता है। इसका अर्थ असमनताओं को दूर करना, सबकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, समान कार्य के लिए समान वेतन, पैसों तथा उत्पादन के साधनों को कुछ हाथों में संकेन्द्रित होने से रोकना जैसे आदर्शों को प्राप्त करना भी है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतन्त्र के आदर्शों को समानता और भाईचारे के साथ मिलाकर। 'प्रस्तावना' महात्मा गांधी द्वारा वर्णित 'मेरे सपनों का भारत' स्थापित करने का उद्देश्य रखती है, जिसमें सबसे गरीब आदमी यह अनुभव कर सके कि यह उनका अपना देश है जहाँ उसकी प्रभावशाली आवाज होगी। एक ऐसा भारत जहां सभी समुदाय पूर्ण समरसता के साथ आपस में मिल कर रहते हैं, जहां महिलाओं को भी पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त हैं।

ग. पंथ निरपेक्ष

भारत में अलग अलग धर्म और आस्था रखने वाले लोगों के बीच एकता और भाईचारे की भावना बढ़ाने के लिए – पंथ निरपेक्षता के आदर्श को डाला गया, जिसका अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करता है और किसी भी धर्म को राज्य का धर्म नहीं मानता। दूसरे शब्दों में भारत न तो धार्मिक देश है, न अधार्मिक और न

ही धर्म विरोधी है। इस का स्पष्ट अर्थ है कि देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा और राज्य किसी विशेष धर्म की सरकारी कोष से सहायता नहीं करेगा।

इससे स्पष्ट होता है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। सभी व्यक्तियों को विवेक की स्वतंत्रता, अपनी पसन्द के किसी भी धर्म को अपनाने तथा प्रचार करने का समान अधिकार होगा। इसके दो अभिप्राय हैं- अ) प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म में विश्वास करने तथा पूजा पद्धति अपनाने की स्वतंत्रता होगी ब) राज्य किसी व्यक्ति अथवा समूह के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।

घ. लोकतांत्रिक

'लोकतान्त्रिक शब्द' बड़ा व्यापक अर्थ रखता है। संकुचित राजनीतिक दृष्टि से तो यह केवल सरकार के रूप से सम्बन्धित है जो प्रतिनिधियात्मक और जिम्मेदार व्यवस्था होती है और जिसके अन्तर्गत राज्य के मामलों का प्रशासन सम्भालने वालों को मतदाता चुनते हैं और वे मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होते हैं। लेकिन व्यापक अर्थ में यह राजनीतिक लोकतन्त्र के अतिरिक्त सामाजिक और आर्थिक लोकतन्त्र को भी साथ लेकर चलता है। प्रस्तावना की अन्तिम पंक्ति कहती है "इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं" वास्तव में देश के राजनीतिक सिद्धान्त प्रस्तावना की अन्तिम पंक्ति से फूटते हैं। लोकतन्त्र को आमतौर पर लोगों का शासन, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए जाना जाता है।

ड़. गणराज्य

'गणराज्य' का अभिप्राय है 'राज्य का निर्वाचित मुखिया'। एक लोकतान्त्रिक देश में निर्वाचित अथवा वंशानुगत मुखिया हो सकता है। वंशानुगत ब्रिटिश राजा/रानी लोकतन्त्र में किसी प्रकार की बाधा नहीं हैं। वहां वंशानुगत राजा लोकतान्त्रिक शासन में बाधक नहीं हैं क्योंकि राज्य का वास्तविक शासन मतदाताओं के प्रतिनिधियों के हाथ में ही है। परन्तु गणतन्त्रात्मक राज्य में राज्य का मुखिया, किसी एक को या समूह को सदैव एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में राज्याध्यक्ष और कार्यपालिका के मुखिया को चार वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। इसी प्रकार स्विट्जरलैण्ड में सात सदस्यों के कोलेजियम को कार्यपालिका का गठन करने के लिए चार वर्षो हेतु चुना जाता है।

आगे चल कर प्रस्तावना भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के उद्देश्यों को परिभाषित करती है। ये चार उद्देश्य हैं 'न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृभाव। यह ठीक ही कहा गया है कि स्वतंत्रता आन्दोलन केवल ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नहीं था अपितु यह तो पुरूष और महिलाओं की गरिमा को पुर्नस्थापित करने, गरीबी हटाने और सब प्रकार से शोषण को समाप्त करने की शुरूआत थी। ऐसी दृढ़ प्रेरणा और आदर्शों ने संविधान निर्माताओं को पहले उल्लिखित चार उद्देश्यों के प्रावधानों पर बल देने के लिए प्रोत्साहित किया।

क. न्याय

न्याय का अभिप्राय व्यक्ति के व्यक्तिगत आचरण का समान के सामान्य कल्याण के साथ समरस सहमति। न्याय का सार है सबकी भलाई को प्राप्त करना। प्रस्तावना में मानव

गतिविधि के समस्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र सम्मिलित हैं। दूसरे शब्दों में न्याय, लोगों को आधारभूत आवश्यकताओं को प्रदान करने, भोजन, कपड़े और आवास का अधिकार, निर्णय करने में भागीदारी तथा मानव रूप में गरिमा के साथ रहने का अधिकार प्रदान करने का वायदा करती है। प्रस्तावना केवल न्याय के विभिन्न आयामों तक ही नहीं पहुंचती अपितु 'सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार' के रूप में राजनीतिक न्याय भी प्रदान करती है। अथवा प्रतिनिधियात्मक लोकतन्त्र प्रदान करती है।

ख. स्वतंत्रता

स्वतंत्रता: 'प्रस्तावना' में इस शब्द का प्रयोग नकारात्मक भाव से नहीं अपितु सकारात्मक भाव से किया गया है। यह केवल व्यक्ति की स्वतंत्र गतिविधियों पर किसी प्रकार के मनचाहे प्रतिरोध को अनुपस्थिति को ही नहीं दर्शाती अपितु व्यक्ति के व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास के लिए आवश्यक अनिवार्य परिस्थितियों को भी निर्मित करती है। 'प्रस्तावना' विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देती है जिसको संविधान द्वारा मौलिक अधि कारों के अन्तर्गत प्रदान किया गया है।

ग. समानता

समानता के बिना स्वतंत्रता मिथ्या है। वास्तव में स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। समानता का यह अर्थ नहीं है कि सभी लोग मानसिक और शारीरिक रूप से एक समान हैं। दूसरी और यह सामाजिक स्तर और अवसरों की समानता को दर्शाती है। स्थिति की समानता धर्म, जाति, वंश, रंग और निवास स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव पर अंकुश लगा कर प्रदान की जाती है। छूआछात पर प्रतिबन्ध लगाकर तथा सभी उपाधियों का उन्मूलन करके इस पर अतिरिक्त बल दिया गया है। इसके साथ ही कानून का शासन सुनिश्चित करके, सरकारी नौकरियों के मामले में भेदभाव को रोककर तथा कानून के सामने सबको बाराबरी देकर अवसरों की समानता सुनिश्चित की जाती है।

प्रस्तावना भ्रातृभाव के उद्देश्य पर बल देती है ताकि व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता दोनों सुनिश्चित रहें। भ्रातृभाव भावना हमारे जैसे देश के लिए अति आवश्यक है क्योंकि यह विभिन्न जातियों और धर्मों का देश है। व्यक्ति की गरिमा के सन्दर्भ में के. एम. मुन्शी कहते हैं कि यह लोकतान्त्रिक व्यवस्था को बनाए रखने का एक साधन ही नहीं है अपितु यह प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी गरिमामय मानता है। इसी प्रकार एकता और अखण्डता जैसे शब्दों को क्षेत्रवाद, प्रान्तवाद, भाषावाद, सम्प्रदायवाद, अलगाववाद और अलग होने की गतिविधियों की प्रवृति पर रोक लगाने के सन्दर्भ में प्रयुक्त किया गया है। ताकि पंथ निरपेक्षता के आधार पर राष्ट्रीय एकता के सपने को साकार किया जा सके।

सरल शब्दों में किसी देश का संविधान देश का शासन चलाने वाले कानूनी नियमों का संग्रह होता है। यह प्रमुख विश्वासों और हितों अथवा टकरावपूर्ण विश्वासों और हितों के बीच कुछ समझौतों को दर्शाता है जो संविधान बनाने और अपनाने के समय के समाज की विशेषताएं हैं। यह सत्य है कि कोई संविधान त्रुटिरहित नहीं और भारतीय संविधान भी इस सामान्य सत्य का अपवाद नहीं है। यह भारत के लिए सम्मान की बात है कि

एक सांविधानिक सरकार के लिए संघर्ष इतना गहरा था कि इसने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के 3 वर्ष के भीतर ही अपने लिए एक संविधान निर्मित कर लिया। स्वीकार किए गए संविधान का लक्ष्य न केवल सरकारी मशीनरी स्थापित करने का माध्यम बनना था अपितु इसको सामाजिक व्यवस्था के क्रमबद्ध परिवर्तन का प्रभावशाली औजार भी बनना था। किसी संविधान की ताकत और स्थायित्व अधिकांशत: एक स्वस्थ और शान्तिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की योग्यता और अवसर की मांग के अनुसार अपने आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में शान्तिपूर्ण परिवर्तन को लाने में सहायक होने पर निर्भर करता है। इस दृष्टिकोण के अन्तर्गत संविधान में एक भी ऐसा आदर्श नहीं है जिसको इसके सबसे बड़े आलोचक भी प्रतिक्रियावादी कह सकें। इसका आधारभूत उद्देश्य अपने सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाई चारा प्राप्त करने के लिए एक लोकतान्त्रिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष गणतन्त्र स्थापित करना है।

पाठगत प्रश्न 17.4

रिक्त स्थान भरिये

(क) प्रस्तावना संविधान के .... की व्याख्या करती है।

(ख) संविधान की प्रस्तावना भारत को .... राज्य के रूप में वर्णित करती है।

(ग) संविधान के .... वें संशोधन द्वारा इसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया।

17.5 संविधान की प्रमुख विशेषताएं

यदि हम विश्व के विभिन्न संविधानों पर नजर डालें तो हमें इन संविधानों की अलग-अलग विशेषताएं देखने को मिलती हैं। व्यापक रूप से हम इन संविधानों को उस देश द्वारा अपनाई गई राजनीतिक व्यवस्थाओं के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। निम्न चार आधारों पर आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को वर्गीकृत किया जाता है। पहले तो लोकतान्त्रिक और तानाशाही सरकारें हैं - जिनका वर्गीकरण लोगों की सहभागिता और व्यवस्था को प्रदान की गई स्वायतता के आधार पर किया जाता है। दूसरा विधायिका और कार्यपालिका के लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपसी सम्बन्धों पर आधारित है - इस आधार पर हम उनका संसदीय और अध्यक्षात्मक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में अन्तर करते हैं। तीसरी राजनीतिक व्यवस्था को शक्तियों के भौगोलिक वितरण के आधार पर संघात्मक और एकात्मक के रूप में वर्गीकृत करते हैं। अन्त में हम राजनीतिक व्यवस्थाओं को आर्थिक ढांचे के आधार पर पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था के रूप में वर्गीकृत करते हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार का वर्गीकरण लिखित और अलिखित संविधान है। अधिकांश राजनीतिक व्यवस्थाओं में संविधान लिखित रूप में हैं। केवल ब्रिटेन में संविधान अलिखित है। इंग्लैण्ड के संविधान के बारे में एक विवाद रहा है। कुछ विचारकों का विचार है कि वास्तव में इग्लैण्ड में कोई संविधान नहीं है जबकि कुछ अन्य कहते हैं कि यह विश्व का सबसे पुराना संविधान है।

टिप्पणी

यह पर्यवेक्षण एक ही दस्तावेज की अलग-अलग व्याख्या का परिणाम है जिसको एक विशेष समय पर लिखा और लागू किया गया तथा जिसमें मौलिक पावनता निहित है। ऐसा संविधान किसी परम्परा अथवा इस उद्देश्य से बनाई गई सभा अथवा किसी सम्राट अथवा किसी तानाशाह द्वारा जारी किया गया हो सकता है।

बुश पेइन और ताक्यूविले के निगाहें इसकी विषय वस्तु के बजाय इसके रूप पर टिकी थीं। प्रों. डायसी इस उलझन को हल करने का प्रयास करता है और संविधान को उस तरह से परिभाषित करता है जैसा ब्रिटिश लोग समझते हैं अर्थात राज्य की संप्रभु शक्ति को विभाजित करने अथवा लागू करने वाले कानूनों का कुल योग जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति विभाजन को प्रभावित करते हैं।

सारांश में इग्लैण्ड में ऐसा संविधान है जिसे कभी लागू नहीं किया गया और न ही लिखा गया। यह सैकडों वर्षों से हुए राजनीतिक संस्थाओं के क्रमिक विकास का परिणाम है और परम्पराओं के विकास पर आधारित है जिसको या तो नई परम्पराओं से अथवा संप्रभु संसद के कानूनों द्वारा सुधारा जा सकता है। यह बुद्धिमता और अवसर की सन्तान है जिसकी शक्तियां कभी कभी अचानक घटी घटना से और कभी कभी सुविचारित सोच से प्रेरित होती है।

17.5.1 लिखित संविधान

इग्लैण्ड के संविधान के विपरीत संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, फ्रांस और भारत के संविधान लिखित हैं यद्यपि ये एक दूसरे से किसी न किसी आधार पर अलग हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और विस्तृत संविधान है। इसमं 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान निर्माताओं का प्रशासन और सरकार की सभी समस्याओं का समाधान प्रदान करने का प्रयास रहा है। अन्य देशों में परम्परा का विषय रहा सभी बातों तक को भारत के संविधान में लेखनीबद्ध किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल सात अनुच्छेद हैं, आस्ट्रेलिया संविधान में 128 और कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद है। ऐसे विस्तृत दस्तावेज को तैयार करने में भारतीय संविधान के संस्थापकों ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लिया। कभी कभी यह पूछा जाता है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने इतना विस्तृत संवैधानिक दस्तावेज बनाना क्यों आवश्यक समझा और सर आइवर के गोल्डन रूल की अवहेलना की जिसमें कहा गया है कि ऐसी कोई चीज शामिल न की जाए जिसको सुरक्षित ढंग से छोड़ा जा सकता है। सर आईवर जेनिंग का उत्तर अपने आप स्पष्ट संकेत करता है कि भारतीय संविधान का इतना बड़ा आकार अतीत की विरासत है।

किसी संघ के लिए अनिवार्य है कि इसका संविधान लिखित होना चाहिए ताकि जब जरूरत हो तब केन्द्र और राज्य सरकारें इसका प्रयोग कर सकें। इसके अनुसार संविधान सभा ने एक लिखित संविधान तैयार किया जिसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। अत: यह विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है जिसको पूरा करने में लगभग 3 वर्ष लग गए।

17.5.2 कठोर और लचीलेपन का सम्मिश्रण

भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता जो इसको दुनियां के अन्य संविधानों से अलग करती है वह है कि इसमें कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया न तो इग्लैण्ड की तरह बहुत सरल है और नही अमरीका की तरह बहुत कठिन। इग्लैण्ड में जहां लिखित संविधान नहीं है वहां संवैधानिक कानून और साधारण कानून में कोई अन्तर नहीं है। संवैधानिक कानून को ठीक उसी तरह संशोधित किया जा सकता है जैसे किसी साधारण कानून को पारित अथवा संशोधित किया जा सकता है। हलांकि संयुक्त राज्य अमरीका में संविधान संशोधन का तरीका बहुत कठोर है। यह केवल कांग्रेस के सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से किया जा सकता है जिसको बाद में कम से कम तीन चौथाई राज्यों की स्वीकृति चाहिए। भारत का संविधान एक अच्छी व्यवस्था को अपनाता है जिसमें ब्रिटिश संविधान का लचीलापान और अमेरीकी संविधान की कठोरता की अनदेखी की गई या लचीले औरर कठोरता का मिश्रण अपनाया गया है।

भारत में संविधानों के कुछ ही प्रावधानों में संशोधन के लिये राज्य विधानसभाओं की स्वीकृति चाहिए और वह भी केवल आधे राज्यों की स्वीकृति पर्याप्त हैं शेष संविधान को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से संशोधित किया जा सकता है परन्तु यह बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए।

उपरोक्त तरीकों के अतिरिक्त संसद को संविधान के कुछ प्रावधानों को साधारण बहुमत से बदलने अथवा सुधारने की शक्ति दी गई है जैसा कि साधारण विधेयक के मामले में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है और संविधान में ऐसा दर्ज है कि ऐसे संशोधनों अथवा परिवर्तनों को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यह उल्लेखनीय है कि विगत 62 वर्षों में अनेक संशोधन या तो पारित किए गए हैं अथवा विचाराधीन हैं। यह संकेत है कि भारतीय संविधान लचीला है। हालांकि यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारे संविधान के मूल (आधारभूत) ढांचे को नहीं बदला जा सकता या आधारभूत ढाँचे में संशोधन नहीं किया जा सकता।

17.5.3 एकात्मक प्रवृति वाला संघात्मक ढांचा

भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता इसका संघात्मक ढांचा है जिसका झुकाव एकात्मता की ओर है। दूसरे शब्दों में साधारणतया व्यवस्था संघात्मक है परन्तु संविधान संघात्मकता को एकात्मकता में परिवर्तित होने की क्षमता देता है।

संघवाद एक आधुनिक अवधारणा है। आधुनिक समय में इसके सिद्धान्त और व्यावहारिकता अमेरीका से पुरानी नहीं है जो 1787 में अस्तित्व में आया। किसी भी संघीय ढांचे में सरकार के सुपरिभाषित शक्तियों और कार्यों वाले दो स्तर होते हैं ऐसी व्यवस्था में केन्द्रीय सरकार और इकाईयों की सरकारें सुपरिभाषित क्षेत्रों में कार्य करती हैं, एक दूसरे से तालमेल/सहयोग करती हैं दूसरे शब्दों में संघीय राजनीति सामान्य राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा विविधता में एकता लाने की एक संवैधानिक विधि प्रदान करती है। आज की भारतीय संघीय व्यवस्था में ऐसी सभी विशेषताएं हैं जो संघीय राजनीति के लिए आवश्यक हैं। भारतीय संविधान की मुख्य संघात्मक विशेषताएं निम्नलिखित हैं–

17.5 संघात्मक विशेषताएं

क) लिखित और कठोर संविधान

किसी संघात्मक संविधान की एक अनिवार्य विशेषता है कि संविधान ने केवल लिखित अपितु कठोर भी होना चाहिए। यह कठोरता विशेष रूप से संघ बनाने वाली इकाईयों के लिए आवश्यक है ताकि केन्द्र अपनी सुविधानुसार या मनमाने तरीके से विषय सूची को बदल न सके। दूसरे शब्दों में इसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता। केन्द्र-राज्य सम्बन्धों से जुड़े सभी संवैधानिक प्रावधानों को केवल राज्य विधान सभाओं और केन्द्रीय संसद की संयुक्त कार्यवाही से बदला जा सकता है। ऐसे प्रावधानों को केवल तभी संशोधित किया जा सकता है यदि संसद के उपस्थित और मतदान करने वाले दो तिहाई सदस्य संशोधन को पारित करें, जो कि कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत होना चाहिए और जिसको कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए।

ख) संविधान की सर्वोच्चता

किसी भी संघीय ढांचें में संविधान केंद्र तथा संघीय इकाईयों के लिए बराबर रूप से सर्वोच्च होना चाहिए। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है तथा केंद्र अथवा राज्यों द्वारा पारित कानून संविधान सम्मत होने चाहिए। इसके अनुसार भारत का संविधान भी सर्वोच्च है और न केंद्र न ही राज्यों के हाथ की कठपुतली है। यदि किसी कारणवश राज्य का कोई अंग संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो न्यायालय संविधान की गरिमा को हर हाल में बनाए रखने को सुनिश्चित करते हैं।

ग) शक्तियों का विभाजन

किसी भी संघ में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए ताकि इकाईयां और केंद्र अपने क्षेत्र में रह कर कानून बना और लागू कर सके और कोई भी अपनी सीमा का उल्लंघन कर दूसरे के कार्यक्षेत्र का अतिक्रमण न कर सके। यह अनिवार्यता हमारे संविधान में प्रत्यक्ष है। सातवीं अनुसूची में तीन प्रकार की सूचियां हैं जिन्हें संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कहा जाता है।

संघीय सूची में 97 विषय हैं जिनमें से रक्षा, विदेशी मामले, डाक एवं तार, मुद्रा इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। राज्य सूची में 66 विषय है जिनमें जेल, पुलिस, न्याय प्रशासन, जन स्वास्थ्य, कृषि इत्यादि शामिल हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय शामिल हैं जिनमें आपराधिक कानून, विवाह, तलाक, दीवालिया, व्यापार संघ, बिजली, अर्थव्यवस्था, सामाजिक नियोजन और शिक्षा इत्यादि शामिल हैं। संघीय सरकार को संघीय सूची के विषयों पर कानून बनाने की विधायी शक्ति है। राज्य सरकारों को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का पूरा अधिकार है। केंद्र और राज्य दोनों समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकते हैं जैसे शिक्षा, स्टैम्प ड्यूटी, दवाएं और विषैले पदार्थ, अखबार इत्यादि। केंद्र और राज्य के बीच टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून राज्य कानून के ऊपर मान्य होगा। तीनों सूचियों में शामिल न किए गए विषयों अर्थात अवशिष्ट विषय/शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार संघीय सरकार के पास है।

घ) न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान

किसी भी संघ के लिए अनिवार्य है कि उसकी न्यायपालिका स्वतंत्र तथा वहाँ संघीय विवादों के निपटारे के लिये सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या हो। वह संविधान की संरक्षक होनी चाहिए। यदि कोई कानून संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कानून को असंवैधानिक करार कर के रद्द कर सकता है। न्यायपालिका की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य न्यायाधीशों को कार्यपालिका द्वारा अपदस्थ नहीं किया जा सकता और न ही संसद द्वारा उनके वेतन कम किए जा सकते हैं।

ङ) द्विसदनीय विधायिका

संघीय व्यवस्था के लिए द्विसदनीय विधायिका को आवश्यक समझा जाता है। उच्च सदन, राज्यों की परिषद (राज्य सभा) में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है जबकि लोक सभा में लोगों द्वारा निर्वाचित सदस्य लोगों की प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य सभा के सदस्यों को राज्य विधानसभाएं निर्वाचित करती है लेकिन संयुक्त राज्य की सीनेट की तरह यहां सबको एक समान प्रतिनिधत्व नहीं मिलता (संयुक्त राज्य में 50 राज्यों में से प्रत्येक को एक समाज प्रतिनिधित्व (2 सीनेटर दिए जाते हैं।) भारत में 28 राज्यों का प्रतिनिधित्व एक समान नहीं होता।

पाठगत प्रश्न 17.5 एवं 17.6

अ) भारतीय संविधान की किन्हीं चार विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

ब) भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं?

स) भारत के संविधान की किन्हीं दो संघात्म के विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

17.7 एकात्मक विशेषताएं

इन विशेषताओं को देखते हुए हम कह सकते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था है। भारतीय संविधान के निर्माताओं का भी यही दृष्टिकोण था। लेकिन कुछ विचारकों का मत है कि भारतीय संघ वास्तव में एक सच्चा संघ नहीं है क्योंकि इसमें कई एकात्मक विशेषतायें हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भारत के संविधान का ढांचा एकात्मक है परन्तु इसकी आत्मा एकात्मक है। अब हम भारतीय संघ की एकात्मक विशेषताओं का परीक्षण करेगें।

क) सशक्त केंद्र

शक्तियों के विभाजन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राज्य सरकारों की शक्ति सीमित और प्रगणनीय है। इसके विपरीत संघीय सरकार को कुछ परिस्थितियों में राज्य सरकारों की तुलना में अधिक शक्तियां प्राप्त है तथा इसका अवशिष्ट विषयों पर भी नियंत्रण है।

ख) संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान

साधारणयत: एक संघात्मक ढांचे के अन्तर्गत राज्यों के अपने अलग संविधान होते हैं। संयुक्त राज्य में ऐसा ही है। इसके विपरीत भारतीय संघ में केवल एक ही संविधान है और राज्यों के लिए कोई अलग संविधान नहीं है।

ग) एकीकृत न्याय प्रणाली

संयुक्त राज्य के राज्यों की अपनी स्वतंत्र न्याय व्यवस्था होती है जिसका संघीय न्यायपालिका से काई सम्बन्ध नहीं है। आस्ट्रेलिया में भी लगभग यही प्रणाली है। लेकिन भारत में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ एकल एकीकृत न्याय प्रणाली का निर्माण करते हैं जिनके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है।। दीवानी और फौजदारी कानूनों को वर्गीकृत किया गया है और वे पूरे देश में लागू होते हैं।

घ) अखिल भारतीय सेवाएं

भारतीय संवधिान में प्रशासनिक व्यवस्था में समरूपता सुनिश्चित करने के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं जिससे संघात्मक सिद्धान्तों के साथ समझौता किए बिना न्यूनतम संयुक्त प्रशासनिक मापदण्ड बनाए रखे जा सकें।

ड़) राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति

राज्य के अध्यक्ष राज्यपाल का निर्वाचन अमेरिकी राज्य के गवर्नरों की भांती नहीं होता। भारत में उनको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति उसको कुछ अवसरों पर एक से अधिक राज्यों का कार्यभार देखने के लिए कह सकता है। इससे संघीय सरकार राज्य शासन पर नियन्त्रण रख सकती है।

पाठगत प्रश्न 17.7

अ) भारतीय संविधान की किन्हीं दो एकात्मक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

ब) "भारतीय संविधान का ढांचा संघात्मक है परन्तु इसकी आत्मा एकात्मक है" क्या यह कथन सत्य है अथवा असत्य।

17.8 भारतीय संघवाद का आलोचनात्मक विश्लेषण

भारतीय संविधान के निर्माता देश की एकता और अखण्डता को सुनिश्चित करने के प्रति कटिबद्ध थे। वे देश में काम कर रही विध्वंशक और फूट डालने वाली शक्तियों से परिचित थे। स्वतंत्रता के समय यह महसूस किया गया कि इन प्रवृत्तियों से एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार ही निपट सकती है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने केंद्र को प्रमुख भमिका प्रदान की। उसके

साथ ही उन्होंने एक सहकारी संघवाद की स्थापना के लिए भी प्रावधान किए। यह बात भी सत्य है कि विगत साठ सालों में केंद्र और राज्यों के बीच सम्बन्ध सदा मधुर नहीं रहे हैं।

यह याद रखा जाना चाहिए कि एकता और विविधता के बीच संघीय व्यवस्था में अच्छी तरह तालमेल होता है। संघ की इकाईयां अपने आन्तरिक प्रशासन में राजनीतिक और आर्थिक स्वायत्तता का आनन्द लेती हैं। यह सत्य है कि संघवाद विकेंद्रीकरण के सिद्धान्त पर आधारित है। यह इस विचार को लागू करती है कि सरकार लोगों के निकट होनी चाहिए ताकि वे इस तक पहुंच सके। स्थानीय समस्याओं को स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारों द्वारा बड़ी आसानी से सुलझाया जा सकता है न कि पहले से ही कार्यभार से लदी केंद्रीय सरकार द्वारा। शक्तियों के विभाजन से कार्य कुशलता बढ़ती है। अतः संघीय व्यवस्था में स्थायित्व को अच्छी तरह बनाये रखा जा सकता है।

दूसरी ओर संघीय सरकार की कुछ कमियां भी हैं। केंद्र और राज्यों में अलग पार्टियों की सरकार से राजनीतिक टकराव की सम्भावना बढ़ जाती है। निसन्देह संघवाद एक खर्चीली व्यवस्था है। फाइनर ने ठीक ही कहा था "यह वित्तीय रूप से खर्चीली है क्योंकि प्रशासनिक मशीनरी और प्रक्रिया का कई बार दोहराव होता है। यह ऊर्जा और समय को भी बर्बाद करता है और कानून की एकरूपता तथा उपयुक्त प्रशासनिक कुशलता अधिकांशतः राजनीतिक और प्रशासनिक वार्तालाप पर निर्भर करता है। भारत में प्रत्येक संकट के बाद केंद्र पहले से अधिक सशक्त हो कर उभरा है जो यह दर्शाता है कि संकटों को शक्तिशाली केंद्रीय सरकार अच्छे ढंग से हल कर सकती है। इससे सघवाद की कमजोरी तथा एकात्मक सरकार की ताकत सिद्ध होती है। हालांकि कुछ कमियों के बाद भी संघीय सरकार एक बेहतर और श्रेष्ठ विकल्प दिखाई पड़ता है।

इसको सारबद्ध करते हुए इस बात पर दुर्गा दास बासु के साथ सहमति दिखाई देती है कि भारत में न तो विशुद्ध रूप से संघवाद है और नहीं एकात्मवाद। बल्कि दोनों का मिश्रण है। यह एक विचित्र प्रकार का संघ है। राजनीतिक विचारकों ने कहा है कि केंद्रीय सरकार के पास इतनी अभूतपूर्व शक्तियां हैं कि भारत एक अर्द्ध संघीय ढांचे से अधिक कुछ नहीं है अथवा यदि यहां किसी तरह से संघवाद है भी इसमें अनेक एकात्मक विशेषताएं हैं। जी.एन. जोशी के शब्दों में "यह भारतीय संघ की कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं। इसमें अन्य संघों के साथ समानता भी है और असमानता भी। इसको ठीक तरह से अर्द्ध संघात्मक कहा जा सकता है जिसमें संघात्मक के साथ एकात्मकता के भी अनेक तत्व विद्यमान हैं।

पाठगत प्रश्न 17.8

अ) भारत न तो विशुद्ध रूप से संघ है और न ही एकात्मक, अपितु यह दोनों का मिश्रण है। (सही/गलत)

ब) ठीक तरह से भारत को अर्द्ध संघात्मक कहा जा सकता है जिसमें एकात्मकता की कई विशेषताएं हैं। (सही/गलत)

आपने क्या सीखा

सविधान किसी देश की स्वतंत्रता और सप्रभुता का प्रतीक है। भारत के संविधान के निर्माण का काम 26 नवम्बर 1949 को पूरा हुआ था जब संविधान सभा ने औपचारिक रूप से नये संविधान को अपनाया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।

संविधान प्रस्तावना के साथ शुरू होता है जो भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। प्रस्तावना अपने सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता प्राप्त करने तथा लोगों के बीच भाईचारे के आधार पर तथा व्यक्ति की गरिमा का आदर करते हुए राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के लक्ष्य को बनाए रखता है।

भारत के संविधान में अनेक विशिष्ट लक्षण हैं। यह विश्व का सबसे लम्बा और लिखित संविधान है और इसमें कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। संविधान में एक अर्द्ध संघात्मक ढांचे का प्रावधान है जिसमें केंद्र सशक्त होता है। केंद्र और रज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। देश में एकीकृत न्याय प्रणाली है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत की सबसे बड़ी न्यायालय है।

भारत के संविधान में कुछ एकात्मक विशेषताएं भी हैं जैसे एक ही संविधान, इकहरी नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्र के पक्ष में शक्तियों का विभाजन।

भारत में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक ससंदीय सरकार है जो संसद के प्रति व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।

पाठांत प्रश्न

1. संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है?
2. भारतीय संघ में कितने राज्य हैं?
3. भारतीय सन्दर्भ में पंथ निरपेक्षता का अर्थ और इसकी व्यख्या कीजिए।
4. लिखित संविधान के महत्व का स्पष्ट कीजिए।
5. "भारत एक संघात्मक राज्य है" इसकी संक्षेप में व्याख्या कीजिए।
6. निम्नलिखित पर संक्षेप नोट लिखिए।

   अ) न्यापालिका की स्वतंत्रता

   ब) भारत - एक कल्याकारी राज्य

   स) संविधान सभा की भूमिका

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

17.1

1. एक कल्याणकारी राज्य का वर्णन ऐसे राज्य के रूप में किया जा सकता है जो अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक कल्याण करे।
2. (i) संघात्मक लोकतांत्रिक राज्य

   (ii) प्रजातान्त्रिक गणराज्य
3. पंथ निरपेक्ष राज्य

17.2

1. डा. बी. आर अम्बेडकर
2. डा. राजेंद्र पसाद

17.3

1. सत्य
2. सत्य

17.4

क) उद्देश्य

ख) संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य

ग) 42

17.5 तथा 17.5

1. अ) लिखित संविधान

   ब) थोड़ कठोर और थोड़ा लचीला

   स) संविधान की सर्वोच्च्ता

   द) न्यायपालिका की सर्वोच्चता और स्वतंत्रता
2. 395
3. (i) शक्तियों का विभाजन

   (ii) लिखित संविधान

17.7

1. (i) एकल एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था

   (ii) संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान

2. सत्य

17.8

1. सत्य
2. सत्य